उत्तराखण्ड शासन
औद्योगिक विकास अनुभाग–1
संख्याः 1560 / VII-1 / 2016 / 158–ख / 2004
देहरादून : दिनांकः 30 सितम्बर, 2016

अधिसूचना

अधिसूचना संख्या–1187 / औ०वि० / 2001–22ख / 2001 दिनांक 30.4.2001 के क्रम में उत्तराखण्ड राज्य में खनिज विकास को प्रोत्साहित किये जाने हेतु उत्तराखण्ड उपखनिज (परिहार) नियमावली, 2001, जिसमें समय–समय पर अग्रेत्तर संशोधन किये गये हैं, में निम्नवत् अतिरिक्त प्रावधान एवं संशोधन किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :–

नियम–6 में अतिरिक्त प्रावधान :–

उत्तराखण्ड उपखनिज परिहार नियमावली, 2001 (मूल नियमावली) में वर्तमान नियम–6(1)(ङ.) के उपरान्त नियम–6(1)(च) का अतिरिक्त प्रावधान जोड़ दिया जायेगा अर्थात;

नियम–6 (1)(च) खनन पट्टा के नवीनीकरण हेतु प्रस्तुत आवेदन पत्र के साथ आवेदक के द्वारा वाणिज्यकर विभाग के उस अधिकारी, जिसके पास संबंधित खनन पट्टे का अधिकार क्षेत्र है, के द्वारा निर्गत अदेयता प्रमाण पत्र, जिसमें यह दर्शाया गया हो कि आवेदक के विरूद्ध कोई वाणिज्यकर की वसूली योग्य बकाया अथवा जमा योग्य कर अवशेष नहीं है, प्रस्तुत किया जायेगा।

नियम–70 का संशोधन :– उत्तराखण्ड उपखनिज परिहार नियमावली, 2001 (मूल नियमावली) में नीचे स्तम्भ–1 में दिये गये वर्तमान नियम–70(1) एवं (2) के स्थान पर स्तम्भ–2 में दिया गया नियम रख दिया जायेगा, अर्थात;

स्तम्भ–1 वर्तमान नियम	स्तम्भ–2 एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम
नियम 70–खनिज के परिवहन पर निर्बन्धन– (1) खनन पट्टा या खनन अनुज्ञापत्र धारक या उसके द्वारा तदर्थ प्राधिकृत व्यक्ति, किसी गाड़ी, पशु या परिवहन के किसी अन्य साधन द्वारा उपखनिज का परिषण (कन्साइनमेंट) कर ले जाने वाले प्रत्येक व्यक्ति को प्रपत्र एम0एम0–11 में पास जारी करेगा। राज्य सरकार जिलाधिकारी के माध्यम से, भुगतान के आधार पर मुद्रित एम0एम0–11 प्रपत्र पुस्तिका की सम्पूर्ति का प्रबन्ध करेगी।	70–खनिज के परिवहन पर निर्बन्धन– (1) खनन पट्टा या खनन अनुज्ञापत्रधारक या उसके द्वारा तदर्थ प्राधिकृत व्यक्ति, किसी पंजीकृत गाड़ी या परिवहन के किसी अन्य पंजीकृत साधन द्वारा उपखनिज का परिषण (कन्साइनमेंट) कर ले जाने वाले प्रत्येक व्यक्ति को राज्य के सीमान्तर्गत ऑनलाईन ई–फॉर्म एम०एम० 11 अथवा मैनुअल प्रपत्र एम०एम०–11 तथा राज्य की सीमा से बाहर परिवहन किये जाने हेतु ऑनलाईन ई–फॉर्म एम०एम० 11 (ओ / एस) अथवा मैनुअल एम०एम०11 (ओ / एस) जारी करेगा। राज्य सरकार भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई की विभागीय वेबसाईट पर तैयार ई–एप्लिकेशन सॉफ्टवेयर के द्वारा निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई, उत्तराखण्ड द्वारा प्राधिकृत अधिकारी के माध्यम से, भुगतान के आधार पर यथास्थिति ई–फॉर्म एम०एम०–11 अथवा ई–फॉर्म एम०एम० 11 (ओ / एस) तथा आकस्मिक परिस्थिति में मैनुअल एम०एम० 11 एवं मैनुअल एम०एम०–11 (ओ0 / एस0) प्रपत्र पुस्तिका की सम्पूर्ति का प्रबन्ध करेगी।

2–

(2) कोई भी व्यक्ति राज्य के भीतर रेल को छोड़कर, पशु, गाड़ी या परिवहन के किसी अन्य साधन द्वारा कोई उपखनिज उपनियम (1) के अधीन प्रपत्र एम0एम0–11 में जारी पास के बिना नहीं ले जायेगा।	(2) कोई भी व्यक्ति राज्य के भीतर रेल को छोड़कर, पंजीकृत गाड़ी या पंजीकृत परिवहन के किसी अन्य साधन द्वारा कोई उपखनिज उपनियम (1) के अधीन बिना ई–फॉर्म एम०एम०–11 अथवा मैनुअल प्रपत्र एम०एम०–11 में घोषणा किये हुए नहीं ले जायेगा। परन्तु; निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई, उत्तराखण्ड को विशिष्ट परिस्थितियों में ई–ट्रांजिट पास (ई–एम०एम०–11, ई–एम०एम०–11 ओ/एस) के ऑनलाइन जनरेशन (Online generation) के उपयोग हेतु छूट प्रदान करने का अधिकार होगा। ऐसी विशिष्ट परिस्थितियों हेतु, जिनमें ऑनलाइन ई–ट्रांजिट पास (ई–एम०एम०–11, ई–एम०एम०–11 ओ/एस) के उपयोग को छूट प्रदान किया जाय, खनिजों के परिवहन हेतु मैनुअल ट्रांजिट पास (एम०एम०–11, एम०एम०–11 ओ/एस) का उपयोग का प्रावधान प्रभावी रहेगा।

नियम–70 में अतिरिक्त प्रावधान :–

उत्तराखण्ड उपखनिज परिहार नियमावली, 2001 (मूल नियमावली) में वर्तमान नियम–70 के उपनियम–(7) के उपरान्त नियम–70 में उपनियम–(8) एवं उपनियम–(9) का अतिरिक्त प्रावधान निम्नवत् जोड़ दिया जायेगा अर्थात;

नियम–70 (8) शासन द्वारा निर्धारित समय सीमा के अन्तर्गत ई–रवन्ना लेने से पूर्व खनन पट्टाधारक को अपने पट्टा क्षेत्र में चुगान हेतु अवशेष उपखनिज की मात्रा को घोषित करेगा।

नियम–70 (9) खनन पट्टाधारक द्वारा अग्रिम रूप से जमा की गई रायल्टी धनराशि के सापेक्ष आगणन कर निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई द्वारा प्राधिकृत विभागीय अधिकारी द्वारा खनिज निष्कासन की क्षमता (Capacity) स्वीकृत की जायेगी।

आज्ञा से,

(शैलेश बगौली)
सचिव

Geology & Mining Unit
(Directorate of Industries Uttarakhand)
E- Form MM-11

Tin No.:
Lease No.

e- Form MM-11 No.
Date and Time:

Owner Name:
Lease Address:

1. Type of Movement:
2. Type of Vehicle
3. Registration No. of Vehicle
4. Name of Driver
5. Mobile No. of Driver.
6. Name of Mineral
7. Weight of Mineral (In Tons)
8. Sale value/Approximate value (Before Tax)
9. Rate of Tax..................................... Tax (Vat or CST)................
10. Name of Purchaser
11. Tin No. of Purchaser
12. Address of Destination
13. Destination District

This form is valid up to : Date & Time (Auto generated)

Geology & Mining Unit
(Directorate of Industries Uttarakhand)
E- Form MM-11 (O/S)

Tin No.:
Lease No.

e- Form MM-11 (O/S) No.
Date and Time:

Owner Name:
Lease Address:

1. Type of Movement:
2. Type of Vehicle
3. Registration No. of Vehicle
4. Name of Driver
5. Mobile No. of Driver.
6. Name of Mineral
7. Weight of Mineral (In Tons)
8. Sale value/Approximate value (Before Tax)
9. Rate of Tax..................................... Tax (Vat or CST)................
10. Name of Purchaser
11. Tin No. of Purchaser
12. Address of Destination
13. Destination District

This form is valid up to : Date & Time (Auto generated)

Geology & Mining Unit
(Directorate of Industries Uttarakhand)
Form MM-11

Tin No.:
Lease No.

Form MM-11 No.
Date and Time:

Owner Name:
Lease Address:

1. Type of Movement:
2. Type of Vehicle
3. Registration No. of Vehicle
4. Name of Driver
5. Mobile No. of Driver.
6. Name of Mineral
7. Weight of Mineral (In Tons)
8. Sale value/Approximate value (Before Tax)
9. Rate of Tax..................................... Tax (Vat or CST).................
10. Name of Purchaser
11. Tin No. of Purchaser
12. Address of Destination
13. Destination District

This form is valid up to : Date & Time (Manual)

Signature of Issuing Officer

Signature of Lessee

Geology & Mining Unit
(Directorate of Industries Uttarakhand)
Form MM-11 O/S

Tin No.:
Lease No.

Form MM-11 O/S No.
Date and Time:

Owner Name:
Lease Address:

1. Type of Movement:
2. Type of Vehicle
3. Registration No. of Vehicle
4. Name of Driver
5. Mobile No. of Driver.
6. Name of Mineral
7. Weight of Mineral (In Tons)
8. Sale value/Approximate value (Before Tax)
9. Rate of Tax............ Tax (Vat or CST)...........
10. Name of Purchaser
11. Tin No. of Purchaser
12. Address of Destination
13. Destination District

This form is valid up to : Date & Time (Manual)

Signature of Issuing Officer

Signature of Lessee